

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

तारीख दायर 4/3/2020

दिनांक निर्णय 10/07/2020

उनवान

~~पटवार हल्का बिधोता~~ बनाम ~~श्रवण पुत्र रघुनाथ~~

जवाब मु. - शा. प्र. न. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप. अनु. जवाब देना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 206-2076 का साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अर्थात् कि-

श्रवण पुत्र पुत्र रघुनाथ

नीना निवासी बिधोता

को

वसरा नं. 386, 949 रकब 0.60 किस्म जै. गु. गन्ना वाके ग्राम बीयोता

बेदखल किया जाता है तथा एक लान 1.20 की 50 गुणा में मु.

60/- सा. 6. रूपये का कर्जा कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलानी हेतु मिसदवर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21 के पृष्ठ संख्या 10 पर लिख पं. 60/- राशि कायम किये गये। ज. कि. 1200/-

पिबठ त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर) राजगढ़ (अलवर)